राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1881/2007/अजमेर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
चैक पोस्ट रतनपुर जिला डूंगपुर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स डिलाईट कारगो कैरियर्स, अजमेर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई, उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
श्री ओ.पी.माहेश्वरी, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 07/09/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 49/06–07/आर.ई.टी. में पारित आदेश दिनांक 05.07.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, रतनपुर चैकपोस्ट डूंगरपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.05.2006 के अन्तर्गत राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 31(6) के तहत कायम शास्ति 3,85,500/– व प्रवेश कर रूपये 77,100/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दूसरे प्रांतों से राजस्थान राज्य में फर्जी दस्तावेज तैयार कर सिगरेट आयात की जा रही है और उसके मूल्य पर प्रवेश शुल्क की करपवंचना हो रही है। मुखबीर के सूचना पर रतनपुर जांच चौकी पर वाहन संख्या एचआर 38ई/0310 के वाहन चालक श्री सोहनसिंह ने दिल्ली का चालान नं0 एमबीआई 16231 दिनांक 11.03.2006 पेश किया। सशक्त अधिकारी द्वारा उक्त दस्तावेजों की जांच करने पर पाया गया कि दर्ज बिल्टी संख्याओं से सिगरेट की घोषणा कर परिवहन की जा रही है, जबकि इन बिल्टियों में सिगरेट की दर किस्म अथवा ब्राण्ड स्पष्ट रूप से घोषित की जा रही है ओर न ही क्रेता व विक्रेता की घोषणा की गई है। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने धारा 31(5)(6)(13) आरईटीएलए 1999 का उल्लंघन मानते हुए शास्ति रूपये 3,85,500/– व परिवहनकर्ता द्वारा क्रेता व विक्रेता को पेश नहीं करने के कारण प्रवेश कर 6 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर रूपये 77,100/– आरोपित किये गये। जिससे असंतुष्ट होकर प्रत्यर्थी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसको अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 05.07.2007 के द्वारा स्वीकार कर ली। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि प्रत्यर्थी द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर सिगरेट आयात की जा रही है उसके मूल्य पर देय "प्रवेश कर" की कर अपवंचना की गई है। परिवहनित माल पर सिगरेट की किस्म, दर अथवा ब्राण्ड स्पष्ट रूप से घोषित नहीं है। जिसको अपीलीय अधिकारी ने बिना तथ्यों को ध्यान रखते हुए अपास्त किया है वह अनुचित व विधि विरूद्ध है जिसको अपास्त करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

लगातार.....2

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उक्त माल दिल्ली के लिए परिवहन किया जा रहा था तथा उसी के अनुसार ही दस्तावेज मौजूद थे जिससे स्पष्ट था कि माल दिल्ली के लिये ही परिवहनित किया जा रहा था। सशक्त अधिकारी ने बिना जाचं किये मात्र संदेहास्पद आधार पर उपरोक्त मांग राशियां कायम कर दी गई, जिसे अपीलीय अधिकारी ने उचित तौर पर अपास्त किया है। अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षो की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। परिवहनित माल राजस्थान राज्य के बाहर से आना प्रमाणित है और राजस्थान राज्य के बाहर जाना प्रमाणित चैक पोस्ट मोहर के आधार पर किया जा चुका है। अतः राजस्थान राज्य की क्षेत्राधिकारिता के बारे में माननीय न्यायालयों द्वारा विभिन्न निर्णयों में यह प्रतिपादित किया है कि माल राज्य के बाहर से परिवहनित किये जाने पर राज्य के अधिकारियों की क्षेत्राधिकारिता नहीं बनती है तथा शास्ति आकर्षित नहीं होती है। ऐसी परिस्थिति में समस्त माल का गमनागमन राज्य के बाहर से ही हुआ है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अपीलीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखते हुए, विभाग की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य